बजट के प्रमुख बिन्दु 2023-24

सुशासन

बुनियादी लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण

सतत कृषि का संवर्धन

निवेश एवं औद्योगिक विकास का सुगमिकरण

रोजगार सृजन

त्वरित विकास एवं समावेशी वृद्धि

महिला सशक्तिकरण

सामाजिक समावेशन

प्रमुख आंकड़े

- राजस्व प्राप्तियां : ₹ 106061 crore
- राजस्व व्यय : ₹ 77009 crore
- उपलब्ध राजस्व अधिशेष (पूंजी व्यय के लिए) : ₹ 29052 crore
- पूंजीगत प्राप्तियाँ : ₹ 12439 crore
- पूंजीगत व्यय : ₹ 41491 crore
- जीएसडीपी में पूंजीगत व्यय का योगदान : 18 %
- जीएसडीपी में संभावित वृद्धि : 10 %

संघ राज्य क्षेत्र के संसाधन

- हकदार केंद्रीय अनुदान : 32%
- उधार : 10%
- पीएमडीपी : 7%
- केंद्र प्रायोजित योजनाएं : 16%
- यूटी का अपना कर राजस्व : 17%
- यूटी का अपना गैर-कर राजस्व : 11%
- अतिरिक्त संसाधन जुटाना/संपत्ति मुद्रीकरण : 7%

संघ राज्य क्षेत्र के व्यय की रूपरेखा

- यूटी का पूंजीगत/विकासात्मक व्यय : 35%
- वेतन : 28%
- पेंशन : 11%
- ब्याज का भुगतान : 8%
- अन्य 18%

केंद्र सरकार की विकास संबंधी पहल

- केंद्रीय सहायता : ₹ 35302 crore
- आपदा मोचन कोष : ₹ 279 crore

राजस्व व्यय

प्रशासनिक क्षेत्र	प्रशासनिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट ₹14069 करोड़ है जिसमें से गृह विभाग के लिए 73% की सीमा तक व्यय करना अपेक्षित है।
सामाजिक क्षेत्र	सामाजिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट ₹24580 करोड़ है जिसमें से शिक्षा विभाग के लिए 49% की सीमा तक व्यय करना अपेक्षित है।
अवसंरचना क्षेत्र	अवसंरचना क्षेत्र का कुल राजस्व बजट ₹32973 करोड़ है जिसमें से वित्त विभाग के माध्यम से 71% की सीमा तक व्यय करना अपेक्षित है।
आर्थिक क्षेत्र	आर्थिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट ₹5386 करोड़ है, जिसमें से वन विभाग के लिए 29% की सीमा तक व्यय करना अपेक्षित है।

पूंजीगत व्यय

प्रशासनिक क्षेत्र	प्रशासनिक क्षेत्र का कुल पूंजीगत बजट ₹ 1802 करोड़ है जिसमें से गृह विभाग के लिए 44% की सीमा तक व्यय करना अपेक्षित है।
सामाजिक क्षेत्र	सामाजिक क्षेत्र का कुल पूंजीगत बजट 5023 करोड़ रुपये है, जिसमें से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 42 % की सीमा तक व्यय करना अपेक्षित है।
अवसंरचना क्षेत्र	अवसंरचना क्षेत्र का कुल पूंजीगत बजट 26013 करोड़ रुपये है, जिसमें से जल शक्ति विभाग के लिये 22% की सीमा तक व्यय करना अपेक्षित है।
आर्थिक क्षेत्र	आर्थिक क्षेत्र का कुल पूंजीगत बजट ₹ 8654 करोड़ है, जिसमें से ग्रामीण विकास विभाग के लिए 48% की सीमा तक व्यय करना अपेक्षित है।

विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख गतिविधियां

कृषि, बागवानी एवं रेशम-उत्पादन क्षेत्र

❖ जम्मू एवं कश्मीर समग्र कृषि विकास योजना शुरू की जाएगी जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के कृषि क्षेत्र में क्षैतिज परिवर्तन करेगी। इस योजना के तहत, अगले पांच वर्षों की अवधि में 5012 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह योजना जम्मू एवं कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास के एक नए पथ पर ले जाएगी, कृषि क्षेत्रों के उत्पादन को दोगुना करेगी, निर्यात को बढ़ावा देगी और कृषि क्षेत्रों को टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाएगी। यह योजना जम्मू एवं कश्मीर में कृषि समृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के एक नए चरण की शुरुआत करेगी और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में 2,87,910 लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करेगी। अगले पांच वर्षों की अवधि में 18,861 नए व्यावसायिक उद्यम स्थापित किए जाएंगे।

❖ समग्र कृषि विकास योजना के तहत पूर्ण मूल्य श्रृंखला और एकत्रीकरण नेटवर्क के साथ 67000 मीट्रिक टन नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण स्थान सृजित किया जाएगा। अगले पांच वर्षों की अवधि में शहद का उत्पादन तीन गुना किया जाएगा। कोकून का उत्पादन 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1350 मीट्रिक टन किया जाएगा।

❖ गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में उगाए जाने वाले खाद्यान्नों और उच्च मूल्य वाली फसलों का बाजार आधारित उत्पादन किया जाएगा।

- जम्मू एवं कश्मीर समग्र कृषि विकास योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत, **67000** मीट्रिक टन सीए भंडारण स्थान बनाया जाएगा और अगले पांच वर्षों की अवधि में शहद का उत्पादन तीन गुना किया जाएगा।
- परवाज़ योजना के तहत जल्दी खराब होने वाले फलों जैसे चेरी, स्ट्रॉबेरी, बेर, नाशपाती, आड़ू, लीची और विदेशी और जैविक सब्जियों का हवाई परिवहन।
- नरवाल जम्मू में **2000** मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर और मजबुघ, सोपोर में **2500** मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर।

❖ मानव श्रम को कम करने, खेती की लागत में कमी लाने और समय पर कृषि कार्य सुनिश्चित करने एवं उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि संबंधी विद्युत संयोजन को 2.5 किलोवाट/हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा।

❖ बासमती, राजमाश, काला जीरा, मुश्क बुदजी, केसर और शहद जैसे विशेष उत्पादों के निर्यात से भी आय बढ़ेगी।

❖ सुनिश्चित सिंचाई के तहत क्षेत्र भी 30% से बढ़कर 40% तक हो जाएंगे।

- बुवाई क्षेत्र की सघनता बढ़ने (फसल बुवाई में दो/तीन गुना बढ़त) के कारण सकल फसल बुवाई क्षेत्र वर्तमान में 11.34 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.50 लाख हेक्टेयर हो जाएगा।

- फलों के पौधों में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए फेरोमोन युक्त ट्रैप का उत्पादन ।
- कृषि में स्वचालन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और रोबोटिक्स।

- विभिन्न योजनाओं के तहत परिकल्पित फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन पहलों के माध्यम से उत्पादन और कटाई के बाद के नुकसान को 20-25% से घटाकर 15-18% किए जाने का लक्ष्य है ।
- रेशमकीट पालन के लिए किसानों को राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (एनएसएसओ) से प्राप्त उन्नत नस्ल के रेशम-कीट बीज उपलब्ध कराया जाएगा । विभाग द्वारा किसानों को अत्यधिक रियायती दरों पर बीज की आपूर्ति की जाती है।
- 200 किसानों को कोकून की उपज बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कोकून के पालन में सहायता के लिए पालन उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- कीटपालकों को चौकी पर पाले गए कीट वितरित करने के लिए रेशमकीट बीज के उष्मायन हेतु चौकी का निर्माण किया जाएगा एवं पालन केंद्र की स्थापना की जाएगी ।
- फलों के पौधों में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए फेरोमोन युक्त ट्रैप का उत्पादन ।
- कृषि में स्वचालन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और रोबोटिक्स।

- गुच्ची, राजमाश और अन्य स्थानीय वनों/कृषि उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों के लिए भद्रवाह, जिला डोडा में पैकेजिंग इकाइयां ।
- भद्रवाह, जिला डोडा में सीडर वुड ऑयल एक्सट्रैक्शन एवं पैकेजिंग यूनिट की स्थापना।
- बहुपक्षीय एजेंसी और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत वित्त पोषण के साथ 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन के लिए कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) परियोजना शुरू की जाएगी ।
- उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और बागों के पुनर्विकास के लिए डिजाइनर पौधों का उत्पादन।
- बागवानी उपज के विपणन के लिए उत्पादकों को मंच प्रदान करके, बागवानी उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए सीधे संपर्क के लिए क्रेता-विक्रेता लिंकेज उपलब्ध करा कर और किसानों/उत्पादकों को अधिक लाभ सुनिश्चित करके जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कृषि विपणन को सुदृढ़ करना ।
- परवाज योजना के तहत चेरी, स्ट्रॉबेरी, बेर, नाशपाती, आड़ू, लीची जैसे खराब होने वाले फलों और विदेशी एवं जैविक सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए फलों के परिवहन हेतु सब्सिडी सहायता।
- नरवाल जम्मू में 2000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर और मजबाग, सोपोर में 2500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा।
- संघ राज्य क्षेत्र के फलों को प्रमाणित करने और बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैगिंग।

- आम और खट्टे फलों की प्लांटेशन हेक्टेयर में, कीवी फल की प्लांटेशन हेक्टेयर में, सेब, अखरोट और स्टोन फ्रूट प्लांटेशन हेक्टेयर में के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हाई डेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी स्कीम के विकास के लिए सहायता ।

पशु, भेड-पालन एवं मत्स्य पालन क्षेत्र

- समग्र कृषि विकास योजना के तहत दूध उत्पादन में 75% की वृद्धि होगी और प्रसंस्करण श्रृंखला में प्रवेश करने वाले दूध को अगले पांच वर्षों की अवधि में तीन गुना कर दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर मटन और ऊन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।
- ट्राउट और कार्प का उत्पादन अगले पांच वर्षों में दोगुना हो जाएगा।
- अगले पांच वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 25 से 45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि होगी, दुग्ध संग्रह/चिलिंग 2.00 से बढ़कर 8.5 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) हो जाएगा और लगभग 3.6 हजार मीट्रिक टन मूल्य वर्धित उत्पाद बाजार में उतरेंगे ।
- बेहतर आजीविका सुरक्षा के लिए भेड़ पालकों/प्रजनकों की आय में वृद्धि होगी । रोजगार और आय सृजन होगा तथा ऊन प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा ।
- संघ राज्य क्षेत्र में चारे की कमी को 80% तक कम करने के लिए और बढ़ती पशुधन आबादी को सहयोग करने के लिए चारे के विकास में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ेगा ।

स्वास्थ्य एवं देखभाल

- स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, जनता की स्वास्थ्य देखभाल के लिए विस्तारित आउटरीच और रोगी अनुभव में सुधार के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) मानदंडों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। हितधारक की प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है और नियमित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की रैंकिंग की जाती है।
- कठुआ में आधुनिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन ।
- कैंसर संस्थान, जम्मू का संचालन ।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग में कैथलैब्स की स्थापना और संचालन ।
- अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान और कुपवाड़ा जिले के लिए तपेदिक मुक्त दर्जा प्राप्त करना।
- सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन कार्य पूर्ण ।
- कर्मयोगी अभियान के तहत समुदाय के बीच योग की विस्तारित पहुंच के लिए 1000 आयुष पैरामेडिक्स के लिए योग और कल्याण पर प्रशिक्षण।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर/जम्मू में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू और सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में बेहतर रोगी

देखभाल के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना।

- **सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर/जम्मू में रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत।**
- **कैंसर संस्थान, जम्मू का संचालन ।**
- **नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई स्कैन को इंस्टाल करना ।**
- **कायाकल्प के तहत सभी सुविधाएं शामिल की जाएंगी।**
- **गहन देखभाल इकाइयों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार।**
- **जनजातीय मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और जनजातीय क्षेत्रों के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयां।**
- **पूर्ण (100%) टीकाकरण कवरेज।**

❖ विशेष रूप से डोडा/किश्तवाड़/रामबन जैसे क्षेत्रों में आपातकालीन निदान के लिए अवसंरचना, जनशक्ति और उच्च तकनीकी उपकरणों के प्रावधान से दुर्घटना संभावित जिलों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं को मजबूत करना।

❖ 25 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, 57 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, 04 जिला एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब और 50 बिस्तरों वाले एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना।

❖ कायाकल्प के तहत सभी सुविधाएं शामिल की जाएंगी।

❖ गहन देखभाल इकाइयों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार।

❖ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपूर्ति तंत्र और रोगी रिकॉर्ड में सुधार के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के तहत मॉड्यूल का विस्तार।

❖ जनजातीय मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और जनजातीय क्षेत्रों के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयां।

❖ सभी जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी के लिए प्रभावी प्रबंधन।

❖ नशा मुक्त अभियान के तहत ओपीडी/ आईपीडी सुविधाओं की अपस्केलिंग/अपडेशन

❖ सी-सेक्शन डिलीवरी में कम से कम 20% की कमी।

❖ स्कूली बच्चों और आबादी के अन्य वर्गों की 100% स्क्रीनिंग।

❖ टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट (टेली-मानस) का कार्यान्वयन।

❖ ई-संजीवनी का कार्यान्वयन

❖ औषधि वितरण प्रणाली की स्थापना पायलट आधार पर आवश्यक आपूर्ति/दवा के लिए ड्रोन की शुरुआत और ड्रोन स्टेशनों का निर्माण।

❖ टेली आउट पेशेंट विभाग (ओपीडी) का कार्यान्वयन।

❖ स्वास्थ्य क्षेत्र में एकीकृत डिजी निगरानी प्रणाली।

❖ पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य जांच।

❖ गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) और अन्य बीमारियों की 100% जांच/निगरानी।

❖ हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की शीघ्र पहचान और पोस्ट नेटल केयर पर ध्यान देना।

❖ पूर्ण (100%) टीकाकरण कवरेज।

❖ एनीमिया मुक्त जम्मू और कश्मीर को सुदृढ़ करना।

❖ सभी मेडिकल कॉलेजों में रेडियोथेरेपी उपकरण उपलब्ध कराया जाना।

❖ सभी 7 मेडिकल कॉलेजों में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) एसटी एलिवेटेड मायोकार्डिअल इन्फ्रैक्टेड (एसटीईएमआई) स्ट्रोक और कीमोथेरेपी के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण विकास

- गांवों को सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के सभी घटकों के कार्यान्वयन के साथ सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस स्थिति (ओडीएफ प्लस) घोषित किया जाएगा।
- कौशल विकास, मिशन युवा, उद्योग और वाणिज्य, स्कूल शिक्षा, कृषि आदि जैसे विभागों में कौशल संबंधी अवसंरचना के समन्वय और प्रशिक्षण के लिए रोजगारोन्मुख क्षेत्रों पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ हिमायत 2.0 का शुभारंभ।
- एनआरएलएम-उम्मीद के तहत, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेआरएलएम) शिकायतों के निपटान हेतु उनके पंजीकरण और सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम का गठन करते हुए जेंडर संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। 10,000 अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए जाएंगे, जिससे जम्मू और कश्मीर में कुल संख्या 100,000 हो जाएगी।
- "हर पंचायत-पंचायत घर" की पहल के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत 1500 नए पंचायत घरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत घरों को 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी ।
- अन्य प्रगतिशील राज्यों के एक्सपोजर दौरों के लिए बढ़ाए गए बजट के साथ-साथ आरजीएसए के तहत पीआरआई सदस्यों के लिए 3 लाख से अधिक कार्य दिवसों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।
- बेघर परिवारों के लिए संघ राज्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना के तहत 40,000 घरों का निर्माण किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के सभी घटकों के कार्यान्वयन के साथ सभी गांवों को ओपन डेफेकेशन फ्री प्लस (ओडीएफ प्लस) का दर्जा दिया जाएगा।
- 87250 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण और 2500 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण।
- 2080 से अधिक गांवों में मल कीचड़ प्रबंधन के प्रावधान के साथ ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का प्रावधान है।
- 2080 से अधिक गांव स्वच्छ और कचरा मुक्त हो जाएंगे और ये गांव ग्रे वाटर के प्रावधानों के साथ प्लास्टिक मुक्त होंगे।
- कम लागत वाली टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पीआरआई सदस्यो के लिए आवास बनाया जाएगा।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, 400 लाख श्रम दिवस सृजित किए जाएंगे और इसे 100% ऑनलाइन जॉब कार्ड जारी करने के साथ पूर्ण किया जाएगा ।

विद्युत क्षेत्र

- ❖ शहरी-24 घंटे और ग्रामीण-22 घंटे के साथ बिजली आपूर्ति के दैनिक घंटों में सुधार।
- ❖ ट्रांसफॉर्मर क्षति दर में कमी, पारेषण और वितरण / कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसान में सुधार।
- ❖ अप्रैल **2023** तक **60%** बिजली की खपत की माप स्मार्ट मीटर से और **2024-25** तक **100%** उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर प्रदान करने का लक्ष्य है।

- शहरी-24 घंटे और ग्रामीण-22 घंटे के साथ बिजली आपूर्ति के दैनिक घंटों में सुधार।
- ट्रांसफार्मर क्षति दर, ट्रांसमिशन और वितरण में गिरावट/कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसानों में सुधार।
- एलटी/एचटी नेटवर्क की लंबाई में 1324.073 किमी की वृद्धि।

- ❖ मौजूदा **220/132** केवी ग्रिड सब स्टेशनों पर नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य और महत्वपूर्ण टावरों/नए टावरों की स्थापना पर सुरक्षा/प्रतिस्थापन कार्य।
- ❖ गुरेज के सीमा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए गुरेज की ग्रिड कनेक्टिविटी।
- ❖ सर्दियों के दौरान सोनमर्ग को **24x7** बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए जेड-मोहर सुरंग के माध्यम से भूमिगत केबलिंग।
- ❖ श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा में विश्वस्त बिजली आपूर्ति के लिए नुनवान में भूमिगत केबलिंग।
- ❖ **2023-24** के दौरान **540** मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का निर्माण शुरू किया जाएगा।
- ❖ नए **220** केवी और **132** केवी ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता **575** एमवीए और **100** एमवीए और मौजूदा **220** केवी और **132** केवी ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता **725** एमवीए और **754** एमवीए तक बढ़ाना।
- ❖ महत्वपूर्ण लाइनों पर एचटीएलएस कंडक्टर और सामान्य एसीएसआर कंडक्टर के माध्यम से **220** केवी स्तर पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाना। इससे करंट वहन क्षमता लगभग **02** गुना बढ़ जाएगी, जिससे मौजूदा ग्रिड स्टेशनों का बेहतर उपयोग होगा। इसके अलावा, यह विश्वस्त और सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
- ❖ एलटी/एचटी नेटवर्क की लंबाई में **1324.073** किमी की वृद्धि।

पर्यटन और संस्कृति

- 'पर्यटन मिशन' पहल के रूप में 75 नए गंतव्य, 75 सूफी/धार्मिक स्थल, 75 नए सांस्कृतिक/विरासत स्थल और 75 नए ट्रैक विकसित और खोले जा रहे हैं ताकि पर्यटन उद्योग का आर्थिक लाभ दूर तक और अब तक अनछुए क्षेत्रों तक पहुंच सके। फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देना वर्ष 2023-24 के लिए "पर्यटन मिशन" का महत्वपूर्ण घटक होगा।
- एक नया पर्यटन वर्टिकल, कारवां पर्यटन खोला जाएगा जो पर्यटकों को एक नया कार्यकलाप प्रदान करेगा और न्यूनतम अवसंरचना परियोजनाओं के साथ अनछुए क्षेत्रों और ऑफ बीट स्थलों को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। सोनमर्ग में ईको मोबिलिटी सुविधा सृजित की जाएगी, ताकि पर्यटक पर्यावरण को प्रभावित किए बिना थजीवास ग्लेशियर की यात्रा कर सकें।

> - जम्मू और श्रीनगर के शहरों में जल पार्कों का विकास।
> - गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग, दूधपथरी यूसमर्ग, भद्रवाह और पटनीटॉप जैसे नए स्थानों पर खेल आयोजित किए जाएंगे।
> - सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों को ई-पुस्तकालयों में तब्दील किया जाएगा।

- पर्यटन क्षेत्र में एक नया वर्टिकल जोड़ने के लिए, रेलवेज़ के सहयोग से बारामूला-बनिहाल रेलवे खंड पर विस्टा डोम सेवाओं का संचालन किया जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो/कार्यक्रम/उत्सव आयोजित किए जाएंगे।
- जम्मू और श्रीनगर के जुड़वां शहरों में जल पार्कों का विकास।
- वुलर/मानसबल झीलों में जल क्रीड़ा गतिविधियों को शुरू करने के लिए वुलर झील में बोट क्लब सह जल क्रीड़ा केंद्र का उन्नयन डल झील, मानसर झील और भगलियार बांध स्थल पर जल आधारित गतिविधियों के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी।
- मनोरंजक गतिविधियों, एडवेंचर जोन और बच्चों के खेल जोन के लिए अथवाजन पार्क, श्रीनगर और खिदिनयार पार्क, बारामूला को विकसित किया जाएगा।
- गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग, दूधपथरी यूसमर्ग, भद्रवाह और पटनीटॉप जैसे नए स्थानों पर खेल आयोजित किए जाएंगे।
- बालटाल, चंदनबाड़ी में पर्यटक सूचना केंद्रों का निर्माण, श्री अमर नाथ जी यात्रा के दौरान तीर्थाटन पर्यटन और सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काजीगुंड, तीतवाल और गुरेज में नवनिर्मित सुरंग।
- संघ राज्य क्षेत्र में पारंपरिक और सांस्कृतिक त्योहारों को बढ़ावा देना।
- पर्यटन स्थलों पर महिला गाइडों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- बांदीपोरा, शोपियां, अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, जम्मू और पुंछ में संस्कृति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों को ई-पुस्तकालयों में तब्दील किया जाएगा।

- ❖ विरासत स्थलों के संरक्षण कार्यक्रम के तहत शेरगढ़ी परिसर और पुराने श्री प्रताप सिंह (एसपीएस) संग्रहालय श्रीनगर में दो पुराने विरासत स्थलों को पुनर्स्थापित और संरक्षित किया जाएगा।
- ❖ जम्मू में अभिनव थिएटर और श्रीनगर में टैगोर हॉल की मरम्मत, जीर्णोद्धार और उन्नयन किया जाएगा।
- ❖ टैलेंट हंट गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
- ❖ स्टोन बिल्डिंग, पुराना सचिवालय, श्रीनगर में नया "कला संग्रहालय" बनाया जाएगा।
- ❖ सांबा में ऐतिहासिक किला, त्राल, पुलवामा में नरस्तान स्मारक, श्रीनगर में हरिपर्वत किला और रियासी में जनरल जोरावर सिंह पैलेस को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुनर्निर्मित किया जाएगा।

जल शक्ति विभाग

I- पीएचई क्षेत्र :

- ❖ जम्मू और कश्मीर के सभी 18.36 लाख घरों में 2023-24 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन होंगे। हर घर को नियमित, दीर्घकालिक और टिकाऊ आधार पर न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) और निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस 10500 की मान्यता) के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- ❖ 2023-24 के दौरान 60 जल आपूर्ति योजनाओं के पूरा होने की संभावना है।
- ❖ 100% ग्रामीण रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित टैंकर सेवा शुरू की जाएगी।
- ❖ 20 प्रयोगशालाओं हेतु परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)।
- ❖ उपभोक्ता रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और पूरे जम्मू एवं कश्मीर में ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का कार्यान्वयन।

II- सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र:

- ❖ तवी बैराज का निर्माण 2023-24 के दौरान पूरा किया जाना है।
- ❖ सिंचाई नहरों की समय पर डिसिल्टिंग।
- ❖ पानी की अधिकतम गहराई को बनाए रखने के लिए होकरसर वेटलैंड स्लुइस गेट्स के काम को पूरा करना। "झेलम बाढ़ प्रबंधन" की वहन क्षमता में वृद्धि करके उसके पार्ट-बी का कार्यान्वयन।

आवासन और शहरी विकास क्षेत्र

- ❖ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को पानी की आपूर्ति के सार्वभौम कवरेज के तहत 2023-24 के दौरान 50000 परिवारों को पानी के नल का कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है।

- डल झील का सीवेज प्रबंधन, अनंतनाग और शेष शहरों के प्रदूषित नदी खंड को सेप्टेज प्रबंधन के तहत कवर किया जा रहा है।

- देविका परियोजना के तहत 13.60 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता को जोड़ा जाना है।

- चरणबद्ध तरीके से 89.83 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाए जाएंगे, जिससे 6,20,565 लोगों को लाभ होने की संभावना है।

- अमृत-2.0 के तहत, यूएलबी में सभी चिन्हित जल निकायों का चरणबद्ध तरीके से कायाकल्प किया जा रहा है, इसके अलावा, रिवर फ्रंट यथा, श्रीनगर में झेलम रिवर फ्रंट और जम्मू में तवी रिवर फ्रंट को स्मार्ट सिटीज मिशन के जरिए विकसित किया जा रहा है और इसे 2023-24 के दौरान पूरा किया जाएगा।

- संघ राज्य क्षेत्र के सभी 78 यूएलबी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो गए हैं और 16 यूएलबी ओडीएफ+ हैं। 2023-24 के दौरान सभी यूएलबी को 100% ओडीएफ+ बनाना है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत**,** लाभार्थी द्वारा निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत 2023-24 के दौरान 18,934 आवास इकाइयां पूरी की जाएंगी

- शहरी गरीब प्रवासियों के लिए किराये के आवास उपलब्ध करने में सुधार के लिए सुंजवान, जम्मू में 336 फ्लैटों का उन्नयन किया जा रहा है और 2023-24 के दौरान शहरी गरीबों/प्रवासियों को प्रदान किया जाना है।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के लिए गुंड-ए-रक्षा और छतरहामा, श्रीनगर तथा कोट भलवाल, जम्मू में बड़े पैमाने पर आवास/नए टाउनशिप/ किफायती आवास बनाए जाएंगे।

- 2023-24 के दौरान "स्मार्ट सिटीज मिशन" के तहत 130 परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद है। इसमें बेहतर अवसंरचना, स्मार्ट गवर्नेंस के लिए प्रोद्यौगिकियों का एकीकरण, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट स्वास्थ्य केंद्र, ग्रीन स्पेस का विकास, स्ट्रीट लाइटिंग और विरासत को बढ़ावा दिया जाएगा।

- 2023-24 के दौरान, दोनों राजधानी शहरों अर्थात जम्मू और श्रीनगर में एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल शुरू होने की उम्मीद है, जिससे दोनों राजधानी शहरों में यात्रियों को मदद मिलेगी और यह शहरों में ट्रैफिक कम करने में भी सहायक होगा।

- 2023-24 के दौरान रेल, सड़क और वायु जैसे विभिन्न परिवहन साधनों को एकीकृत करने के लिए टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कटरा में एक इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) बनाया जाएगा।

- सर्कुलर इकोनोमी को बढ़ावा देना।

- इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए योजना शुरू की जाएगी।

- सिटी मोबिलिटी योजनाओं के लिए नीति बनाना।

- श्रीनगर, जम्मू और अन्य प्रमुख शहरों में "महिला हाट" और महिलाओं के लिए विशेष बाजारों की स्थापना।

- एकता मॉल का निर्माण।

शिक्षा क्षेत्र

- ❖ सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए "आओ स्कूल चलें" के तहत सघन नामांकन अभियान जारी रहेगा।
- ❖ गुणवत्तापूर्ण प्री-प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने के लिए 2023-24 के दौरान 2000 किंडरगार्टन स्थापित करने काप्रस्ताव है।
- ❖ आदिवासी छात्रों और कमजोर वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता के आधार पर इन आवासीय विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए 2023-24 के दौरान 10 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी ।

- **छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 188 वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशालाएं (प्रत्येक जोन में एक प्रयोगशाला) स्थापित की जाएंगी।**
- **विद्यालयों की डिजिटल इक्विटि, साक्षरता और आर्थिक विकास में सुधार में मदद करने के लिए नई शिक्षण पद्धतियों के अलावा 40 रोबोटिक प्रयोगशालाएं (दो प्रयोगशालाएं हर जिला में) स्थापित की जानी हैं।**
- **सभी विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए को-करीकुलर कार्यकलाप के भाग के रूप में योग प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।**

- ❖ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा में एलसीडी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 1000 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएगी।
- ❖ 100 उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खिलाडिय़ों के लिए चेंज रूम सहित खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- ❖ उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 500 अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी जिससे 20,000 से अधिक छात्रों को लाभ होगा।
- ❖ प्राथमिक कक्षाओं के सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी।
- ❖ प्राथमिक कक्षाओं के कमजोर वर्ग के सभी छात्रों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की जाएगी।
- ❖ सभी विद्यालयों में पेयजल सुविधा एवं जेंडर आधारित शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- ❖ संघ राज्य क्षेत्र के 500 स्कूलों में आईसीटी लैब और 100 वोकेशनल लैब की स्थापना की जाएगी।
- ❖ अवसंरचना/गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत, प्रवासी लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बारामूला, शोपियां, किश्तवाड़ और राजौरी ज़िलों में एक-एक आवासीय स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- ❖ छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 188 वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशालाएं (प्रत्येक जोन में एक प्रयोगशाला) स्थापित की जाएंगी।
- ❖ विद्यालयों की डिजिटल इक्विटि, साक्षरता और आर्थिक विकास में सुधार में मदद करने के लिए नई शिक्षण पद्धतियों के अलावा 40 रोबोटिक प्रयोगशालाएं (दो प्रयोगशालाएं हर जिला में) स्थापित की जानी हैं।
- ❖ सभी विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए को-करीकुलर कार्यकलाप के भाग के रूप में योग प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

उच्च शिक्षा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का पूर्ण कार्यान्वयन।
- 2023-24 में 32 कॉलेजों की एनएएसी मान्यता के लिए कार्रवाई पूरी की जाएगी।
- 2023-24 में, समर्थ "ERP eGov Suite" पूरी तरह से शुरू हो जाएगा।
- उच्च शिक्षा परिषद 2023-24 के दौरान कार्य करना शुरू कर देगा।
- 08 कॉलेज भवनों और 04 छात्रावास भवनों के पूर्ण होने की संभावना है।
- 04 ऑडिटोरियम और 04 बहुउद्देशीय हॉल के पूरा होने की संभावना है।
- 02 पुस्तकालय ब्लॉकों के पूरा होने की संभावना है।

सड़क संपर्क (सड़क और पुल)

- सभी योजनाओं के तहत 2023-24 के दौरान कुल मिलाकर 6000 किलोमीटर सड़कों पर ब्लैक-टॉपिंग करने की उम्मीद है।
- 253 नई परियोजनाए अनुमानित लागत 1292 करोड़ रुपये से ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ)-XXVIII के तहत नाबार्ड फंडिंग के साथ मंजूरी देने के लिए प्राथमिकता दी गई है और 2023-24 के दौरान निष्पादन के लिए ले लिया जाएगा।
- 2022-23 के दौरान 20 साल पूरे कर चुके पुलों का सेफ्टी ऑडिट पूरा कर लिया गया है। 2023-24 के दौरान 10 साल पूरे करने वाले पुलों के लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा ।
- सड़क/पुल संपत्तियों के रखरखाव और सड़क सुरक्षा उपायों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत 60 पुलों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- 2023-24 के दौरान सभी प्रमुख सड़कों पर "पासिंग बे" बनाई जानी है।
- पीएमजीएसवाई-III के कार्य 2023-24 के दौरान शुरू किए जाने हैं।

उद्योग और वाणिज्य

- वर्ष 2023-24 में नए औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 29 प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी संरचनाओं के सृजन के लिए जम्मू और श्रीनगर में मेडिसिटी स्थापित करने के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेमपोरा, श्रीनगर और मीरान साहिब, जम्मू में मेडिसिटी स्थापित किए जा रहे हैं।
- "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट" का मुख्य उद्देश्य निर्यात के लिए स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना

है। इस संबंध में, स्थानीय उत्पादों के निर्यात के लिए पूरे भारत से चुने गए 75 जिलों में श्रीनगर और जम्मू जिले भी शामिल हैं।

- वर्ष 2023-24 में, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार गारंटी सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत 30 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी के साथ 1500 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें 9000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- औद्योगिक क्षमता के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी।
- क्षमता निर्माण/स्टार्ट-अप प्रोत्साहन पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
- रोजगार में वृद्धि हेतु औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए टर्नओवर प्रोत्साहन प्रदान करना।
- हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत ब्रांडिंग के साथ गुणवत्ता प्रमाणन की शुरुआत ।
- स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाना।
- "ईज ऑफ लिविंग" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" लाकर अनुपालन बोझ कम किया जाएगा।
- पूरे संघ राज्य क्षेत्र में मॉक ड्रिल की जाएगी।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास नीति अधिसूचित की जाएगी।
- समाधान 2.0 लागू किया जाएगा।
- एमएसएमई को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ का जोड़ा जाएगा।
- निजी निवेश को समर्थन देने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।
- एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन।
- निर्यात केन्द्रों का सृजन।
- निर्माण क्षेत्र सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल अपनाया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र

- सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर चरणबद्ध तरीके से बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली लगाई जाएगी।
- अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणियों से संबंधित 124300, प्री-मैट्रिक छात्रों (प्रथम-8वीं) को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- सभी बाल देखभाल संस्थानों को वहाँ रहने वालों के लिए सर्वोत्तम सुविधाओं के साथ आधुनिक पैटर्न पर विकसित किया जाना है। 19 बाल आश्रमों और 12 नारी निकेतनों में 1700 वासियों को रखा जाएगा।
- सभी 20 जिलों में जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किए जाएंगे।

- ❖ महिला सशक्तिकरण के लिए हब का निर्माण (एचईडब्ल्यू)-महिला शक्ति केंद्र ।
- ❖ जीपीएस सक्षम महिला हेल्पलाइन की स्थापना ।
- ❖ कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
- ❖ दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण ।

जनजातीय कल्याण

- ❖ 24 अनुसूचित जनजाति और गुर्जर/बकरवाल छात्रावासों को पूरा किया जाना है।
- ❖ खानाबदोश आबादी के लिए 07 ट्रांजिट आवास को पूरा करने का लक्ष्य है।
- ❖ आदिवासी लोगों के लिए दुग्ध गांव और स्मार्ट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
- ❖ आदिवासी उत्पादों जैसे दूध, मटन, भेड़ की ऊन, चमड़ा आदि के विपणन के लिए बाजार लिंकेज की व्यवस्था करना।
- ❖ जनजातीय परिवारों को उनके वस्तुओं और मवेशियों के मौसमी माइग्रेशन के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।
- ❖ खानाबदोश लोगों की शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक स्थिति का पता लगाना।

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

- ❖ इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के दौरान कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 1984 अस्थाई आवास पूरा किया जाएगा।
- ❖ कश्मीरी प्रवासियों के लिए पीएम-पैकेज के अंतर्गत 6000 पदों में से शेष 355 पद वर्ष 2023-24 के दौरान भरे जाने हैं।
- ❖ सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के अंतर्गत कश्मीर/जम्मू प्रवासियों के लिए नकद सहायता और खाद्यान्न की सुविधा जारी रहेगी।

युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता

- ❖ युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए बैंकों और मिशन यूथ के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- ❖ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जे एंड के आरईजीपी) तथा जम्मू और कश्मीर शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम (जे एंड के यूईजीपी) के अंतर्गत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यवहार्य व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना

के लिए शेष धनराशि (मार्जिन मनी) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- स्वरोजगार योजनाओं यथा सीड कैपिटल फंड, यूथ स्टार्टअप ऋण, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम एवं महिला रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 8100 रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 3200 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- जम्मू और श्रीनगर में प्रत्येक में 02 विशाल रोजगार मेला सहित 40 रोजगार मेला आयोजित किए जाएंगे।
- वर्ष 2023-24 के दौरान जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में 06 मॉडल करियर केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय वर्कफोर्स मोबिलिटी ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना।
- विदेशों में रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम ।
- युवाओं के कौशल विकास के लिए युवा मंडलों को जीवंत बनाया जाएगा ।

खेलों हेतु पहल

- वर्ष 2023-24 के दौरान 70 लाख युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के कोने-कोने से अधिक से अधिक खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
- तलवारबाजी, वुशु और जिम्नास्टिक्स में हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- दो योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिनमें एक मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू और एक श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगा।
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जीवंत खेल तंत्र विकसित करने के लिए खेलों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
- "एक भारत श्रेष्ठ भारत" अभियान के अंतर्गत विभिन्न खेल आयोजनों में 25 राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की जाएगी।
- खेल सीखने की प्रक्रिया को संस्थागत करने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और वुशु अकादेमियो को स्थापित की जाएगी।
- खेलों और पैरा-एथलेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कौशल विकास

- अन्य विभागों के साथ मिलकर विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षणों के माध्यम से 60000 एसएचजी के कौशल को निखारना (अप-स्किलिंग)।
- स्किल एक्वीजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प) के अंतर्गत 8 आकांक्षी/सीमावर्ती जिलों अर्थात-जम्मू, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा में कौशल स्थिति में सुधार किया जाएगा।

- सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन/प्रदर्शन लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित प्रशिक्षुओं को रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण।
- यूनिसेफ के माध्यम से वंचित युवाओं के लिए स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक/कॉलेजों और आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं का समावेशी कौशल मानचित्रण किया जाएगा।
- प्रशिक्षुओं के तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण कौशल प्रदान करके और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हंदवाड़ा, पटन और टंगधार में कार्यशाला ब्लॉकों का निर्माण।
- कौशल केन्द्रों का निर्माण।
- ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन व्हील्स शुरू की जाएगी।
- सभी कौशलों को शामिल करने के लिए गतिशील जिला और संघ राज्य क्षेत्र स्तर की कौशल विकास योजना तैयार की जाएगी।
- इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बैंक से कौशल ऋण ।

वानिकी और पर्यावरण

- वनीकरण पर अम्ब्रेला कार्यक्रम के रूप में हरित जम्मू और कश्मीर अभियान चलाया जाएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान 1.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।
- 4290 ग्राम पंचायतों को " हर गांव हरियाली" वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- एक बीट गार्ड, एक गांव कार्यक्रम के अंतर्गत गांव की सामान्य भूमि, काहचराई और बंजर भूमि में रोपण के लिए फाइबर, भोजन, चारा और इमारती लकड़ी की प्रजातियों के पौधे और अन्य रोपण सामग्री प्रदान की जाएगी।
- वन और संरक्षित क्षेत्रों में स्वच्छ आर्द्रभूमि का संरक्षण और संवर्धन करना।
- वन क्षेत्रों में चारा उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।
- वन क्षेत्रों के सभी तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा।
- "प्लास्टिक मुक्त वन" पहल को एक अभियान के रूप में शुरू किया जाएगा।
- विद्यालयों में 6000 ईको-क्लब पंजीकृत किए जाएंगे।
- मिशन मोड में वुलर झील से गाद निकालने का काम किया जाएगा।
- जम्बू जू तैयार करके अप्रैल, 2023-24 में लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
- प्रो-एक्टिव और रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरेक्टिव और वर्चुअस इंवायरमेंटल सिंगल-विंडो हब (परिवेश) 2.0 को लागू किया जाएगा।

नागरिक खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

- प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों को राशन का 100% वितरण ।
- स्टोर इन्वेंट्री का डिजिटलीकरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का पूर्ण कार्यान्वयन।
- उधमपुर, किश्तवाड़, रामबन और डोडा में कम्प्यूटरीकृत तौल पुल लगाया जाएगा।
- बांदीपोरा, शोपियां, पुलवामा, डोडा और बडगाम में कार्यशील मानक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा ।
- नगरोटा, राजौरी, खन्नाबल, कुलगाम और बीरवाह में भंडारण गोदामों की रीमॉडलिंग और फेस लिफ्टिंग।
- सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में ई-रुपये का कार्यान्वयन।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) घटक "ख" के अंतर्गत , 2023-24 के दौरान लगभग 4000 सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे।
- पीएम-कुसुम घटक "ग" के अंतर्गत, मौजूदा कृषि ग्रिड से जुड़े पंपों की जगह वर्ष 2023-24 के दौरान 5000 सौर कृषि पंपों को लगाया जाएगा।
- जम्मू सौर सिटी परियोजना के अंतर्गत, कुल 200 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृत लक्ष्य की तुलना में, वर्ष 2023-24 में लगभग 20,000 घरों को कवर करते हुए कुल मिलाकर लगभग 80 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा वित्त पोषित घरेलू क्षेत्र के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 के दौरान 10 मेगावाट की स्थापित क्षमता को प्राप्त करने के लिए 3000 घरों को कवर किया जाएगा।
- श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत श्रीनगर शहर में करीब 3 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे।
- पहले चरण में श्रीनगर शहर की 50 इमारतों और विभिन्न जिलों में 20 अन्य सरकारी भवनों को ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित किया जाएगा। लक्ष्य होगा कि मिशन मोड में सभी सरकारी भवनों को कवर किया जाए।
- वर्ष 2023-24 के दौरान आईपीपी को 2-10 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की लगभग 72 मेगावाट कुल क्षमता आवंटित की जाएगी।
- छन्नी हिम्मत, जम्मू में ऊर्जा भवन का निर्माण वर्ष 2023-24 के अंत तक पूरा किया जाएगा।
- उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, लाल मंडी, श्रीनगर के परिसर में नवाचार और प्रसार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना स्टार्ट-अप के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

- संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सुगंधित और औषधीय पौधों के प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे।
- वर्ष 2023-24 के दौरान 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, जम्मू की स्थापना की प्रक्रिया।

सहकारी विभाग

- सहकारी बैंकों को लाभदायक बनाने के लिए उनका पुनर्गठन।
- सभी सहकारी बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग समाधान को अपनाना और उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा शुरू करना।
- डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली (डीबीएमएस) में सभी सहकारी समितियों के आंकड़ों का डिजिटलीकरण और संकलन।
- 80 नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी और उन्हें कार्यशील बनाया जाएगा। इससे सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी और युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा।
- सभी कारीगर सहकारी समितियों के सदस्यों को कारीगर क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और बड़गाम में सुपर बाजारों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और अन्य स्थानों पर नए सहकारी सुपर बाजारों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण, जिससे उन्हें जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा जा सके।
- महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना।

राजस्व विभाग

- पिछले 20 वर्षों के विरासत डेटा को स्कैन, डिजिटाइज़ किया जाएगा और राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) पोर्टल/ राज्य डेटा सेंटर पर अपलोड किया जाएगा।
- उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों के लिए पंजीकरण दस्तावेजों के रिकॉर्ड को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा उपकरणों की स्थापना।

परिवहन विभाग

- परिवहन क्षेत्र में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति
- महिलाओं के लिए बसों और गुलाबी टैक्सियों की शुरूआत।
- केवल महिला बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को शामिल किया जाएगा।

वित्तीय सुधार/ई-शासन पहलें

-

- ई-कार्यालय का जम्मू-कश्मीर के सभी कार्यालयों में विस्तार किया जाएगा।
- लोक निर्माण ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (पीडब्ल्यूओएमएएस) पर ई-बिलिंग प्रणाली को सभी इंजीनियरिंग विभागों में विस्तारित किया जाएगा।
- पीएम गति शक्ति को सभी विभागों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
- विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी वाहनों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों में सार्वभौमिक संक्रमण और वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन।
- जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम में इंटेलिजेंट टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा।
-
- मोबाइल ऐप के विकास के माध्यम से ऑनलाइन जनगणना प्रबंधन प्रणाली का निर्माण।
- जीएसटी डेटा त्रिकोण की शुरूआत।
- जीएसटी की ई-इनवॉयस प्रणाली का निर्माण।
- जीएसटी-इन को जीएसटी प्राइम में बदलना।
- ई-वे बिल को फास्टैग और वाहन से जोड़ना।
- आईटी विभाग द्वारा एकल अद्वितीय हेल्पलाइन का निर्माण।
- अंतर-राज्य ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता फ्रेमवर्क।

सुरक्षा संबंधी कार्यकलाप

- जम्मू एवं कश्मीर के सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस सीमा चौकियां बनाई जाएंगी।
- अपराध रोकथाम संगठन को मजबूत किया जाएगा।

- ❖ जेलों में प्रमुख टावरों/जैमरों का निर्माण और अधिष्ठान।
- ❖ पुलिस शहीदों के बच्चों के लिए 02 छात्रावासों का निर्माण।
- ❖ केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में पुलिस हाउसिंग कॉलोनियों का निर्माण।
- ❖ पुलिस अस्पतालों और पुलिस पब्लिक स्कूलों का उन्नयन।
- ❖ सशस्त्र बलों (भूतपूर्व सैनिकों) के वार्डों के लिए 02 छात्रावासों का निर्माण ।
- ❖ नवीनतम प्रौद्योगिकी संचालित उपकरणों की खरीद के साथ मौजूदा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा स्टेशनों का आधुनिकीकरण।
- ❖ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, श्रीनगर में नारकोटिक लैब और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जम्मू में विष विज्ञान और नारकोटिक लैब का निर्माण।
- ❖ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जम्मू और श्रीनगर में भौतिकी और बैलिस्टिक प्रभाग का निर्माण और उन्नयन।
- ❖ सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली पूरी की जाएगी।
- ❖ सार्वजनिक स्थानों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ सीसीटीवी कैमरों का स्थापन ।

अन्य पहलें

- ❖ समग्र कृषि विकास योजना के तहत 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ❖ फसल बीमा योजना के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ❖ जीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ❖ "मिशन यूथ प्रोग्राम" के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- ❖ बैंकों के पूंजीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- ❖ राजमार्ग विश्राम स्थलों की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- ❖ सीआरआईएफ के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 1600 करोड़ रुपये और नाबार्ड योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- ❖ पर्यटन संवर्धन के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- ❖ महोत्सव के प्रचार के लिए 30 करोड़ रुपये, सिनेमा/थिएटर के प्रचार के लिए 100 करोड़ रुपये और विरासत संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ❖ वर्ष 2023-24 के दौरान मानसर, सुरीनसर और सूफी सर्किट सहित नए सर्किट और चिन्हित धार्मिक सर्किट के लिए 60 करोड़ रुपये रखे गए हैं। नए रोपवे और गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।

- ❖ औद्योगिक नीतियों और स्टार्ट-अप के सभी प्रोत्साहनों को पूरा करने के लिए प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, औद्योगिक संपदाओं में भूमि विकास के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- ❖ सभी पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाओं की पूर्ति के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।

- ❖ नियंत्रित वायुमंडल (सीए) भंडारण की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- ❖ नई टाउनशिप/मास हाउसिंग के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- ❖ डीडीसी/बीडीसी/पीआरआई आवास और कार्यालयों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

- ❖ थानों के डिजिटलीकरण, शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग, एफआईआर, रोजनामचा और केस डायरी के रखरखाव में पारदर्शिता के लिए 44 करोड़ रुपये रखे गए हैं। दोषसिद्धि दरों का आकलन करने, अदालतों में मामलों की चार्जशीट दाखिल करने और ट्रैकिंग, पुलिस से एनओसी, पासपोर्ट सत्यापन और इंसिडेंट सिस्पॉन्स टाइम ट्रैकिंग सिस्टम का आकलन करने के लिए जांच निगरानी प्रणाली का निर्माण किया जाएगा, जिसमें संपत्ति रजिस्टर, तैनाती, लेखा प्रणाली, पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी आदि के रखरखाव के साथ शुरू किया जाएगा।

- ❖ जल जीवन मिशन के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान। सभी जिलों को "हर घर नल से जल" के तहत कवर किया जाएगा। गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने, प्रयोगशालाओं की स्थापना करने और सेवा स्तरीय बेंचमार्किंग प्रणाली शुरू करने के लिए निधियां निर्धारित की जा रही हैं। संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के रूप में जल जीवन मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- ❖ संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं का 100% भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग के भीतर तीसरे पक्ष की निरीक्षण प्रणाली स्थापित की जाएगी।

- ❖ सभी कस्बों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा और सर्विस लेवल बेंचमार्किंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- ❖ डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों के सदस्यों के लिए अनुग्रह राशि के रूप में 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

- ❖ कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों (फूड क्लस्टर पार्कस) के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

- ❖ जम्मू एवं कश्मीर टीपीओ के माध्यम से व्यापार मेलों/निवेशक शिखर सम्मेलन/व्यापार संवर्धन के लिए 30 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

- ❖ सभी कार्यालयों, पंचायतों और डीडीसी/बीडीसी में ई-ऑफिस।

- ❖ ट्रांसफार्मर कट-आउट और स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन के लिए 13 करोड़ रुपये।

- ❖ दिव्यांगों के लिए कृत्रिम उपकरणों की खरीद हेतु 3 करोड़ रुपये।

- पंचायती राज संस्थाओं की सुरक्षा के लिए 40 करोड़ रुपये।
- पुलिस हाउसिंग कालोनियों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये और राहत तथा पुनर्वास के लिए 41.75 करोड़ रुपये।
- बंकरों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये।
- पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1313 करोड़ रुपये।
- 20 डीडीसी के लिए "विकास निधि" के रूप में 10 करोड़ रुपये प्रत्येक के हिसाब से 200 करोड़ रुपये और 285 बीडीसी के लिए "विकास निधि" के रूप में 25 लाख रुपये प्रत्येक के हिसाब से 71.25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- 9,000 सौर पंप उपलब्ध कराने के लिए 18 करोड़ रुपये।
- स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार, स्कूल के बुनियादी ढांचे, कैरियर परामर्श के लिए और स्कूलों में अतिरिक्त संकायों की शुरुआत के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- वुलर झील के चारों ओर पगडंडी के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये।
- डल झील के विकास के लिए 90 करोड़ रुपये।
- मेट्रो निगमों के लिए 140 करोड़ रुपये।
- जम्मू और श्रीनगर शहर अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपये।
- नगर संधारणीय/अवंसरचना विकास निधि के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- कश्मीरी प्रवासियों के लिए ट्रांजिट आवास के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- सीएसएस और संघ राज्य क्षेत्र के तहत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए 520 करोड़ रुपये।
- जम्मू एवं कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा के सार्वभौमीकरण और पूर्ति के लिए एबी-पीएमजेएवाई सेहत योजना के लिए 399 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 205 करोड़ रुपये और दवाओं की खरीद के लिए 487 करोड़ रुपये।
- नशा मुक्त अभियान के लिए 15 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- गुर्जर और बक्करवालों के लिए जनजातीय छात्रावासों/दुग्ध ग्रामों/घुमंतू आश्रयों/पुस्तकालयों के निर्माण और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- परिवहन क्षेत्र में पुराने बेड़े को बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- देविका परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
- युवा स्टार्टअप/प्रारंभिक पूंजी/महिला स्वरोजगार योजनाओं के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- उच्च घनत्व वृक्षारोपण और मंडियों के नवीनीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए समृद्ध सीमा योजना के तहत बीएडीपी के अलावा 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- "आकांक्षी पंचायत विकास" कार्यक्रम के लिए 285 ब्लॉकों के लिए 10 लाख रुपये की दर से 28.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- नगर संधारणीय/अवंसरचना विकास निधि के तहत आकांक्षी नगर विकास कार्यक्रम के लिए पर्याप्त प्रावधान रखे गए हैं।
- विश्व बैंक से सहायता प्राप्त झेलम और तवी फ्लड रिकवरी (जेटीएफआर) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 280 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।